

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग,

अधिसूचना

पत्रांक—21 / बी० पी० एस० सी०-०९/२०११ । १२५२०/ पटना—१५, दिनांक । ७/११/११

भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्त) विनियमावली, 1960 के विनियम 4 (क) के बाद निम्नलिखित एक नया विनियम 4 (ख) तुरत के प्रभाव से जोड़ते हैं—

“ 4 (ख) विश्वविद्यालय सेवा से आयोग में आये सदस्यों के मामले में, विश्वविद्यालय नियम के अनुसार, वाह्य सेवाकाल के लिए उनका पेशन एवं अवकाश अंशदान विश्वविद्यालय में भेजना आवश्यक है अन्यथा पेशन के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय में उनकी सेवा की अवधि कम मानी जायेगी।

यह प्रावधान सदस्यों द्वारा आयोग में बितायी गयी पूर्ण सेवा अवधि के लिए अनुमान्य होगा । अधिसूचना संख्या 9653 दिनांक 03.09.08 को कंडिका (2) एतद द्वारा प्रतिस्थापित समझी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नवीन चन्द्र आ.)  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक—21 / बी० पी० एस० सी०-०९/२०११ । १२५२०/ पटना—१५, दिनांक । ७/११/११

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक—21 / बी० पी० एस० सी०-०९/२०११ । १२५२०/ पटना—१५, दिनांक । ७/११/११

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ आई० ट्री० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग,

अधिसूचना

सं0-21/बी0 पी0 एस0 सी0-09/2011 ।12521/ अधिसूचना सं0-।12520 दिनांक ।17-11-11  
का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद बिहार, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के  
संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा के उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा  
जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
Navin Chandra Jha  
(नवीन चन्द्र झा)  
सरकार के संयुक्त सचिव

Govt. of Bihar  
General Administration Department  
Notification


No. 21/B.P.S.C.-09/2011 ।12520...In exercise of powers conferred by Article 318 of the Constitution of India The Governor of Bihar is pleased to add a new regulation 4 B after regulation 4A of Bihar public Service Commission (conditions of service) Regulations, 1960 with immediate effect:-

" 4B. In the matter of members came from University Service in the commission, according to the university rule, for the period of foreign service it essential to send their pension and leave contribution to the University otherwise their service period will be deemed to be short in the University for the pension purpose.

This provision will be admissible for the full service period served in the Commission by the members".


Para (2) of notification No. 9653 dt. 03-09-08 is deemed to be hereby substituted .

By the order of the Governor of Bihar

  
Navin chandra Jha  
Joint Secretary to Govt.

ज्ञापांक-21/ बी0 पी0 एस0 सी0-09/2011 ।12520/ पटना-15, दिनांक ।17-11-11

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण  
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-21/ बी0 पी0 एस0 सी0-09/2011 ।12520/ पटना-15, दिनांक ।17-11-11

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी  
विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई  
हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।